

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1/प्रा०आ०-0-3-16 /2013-12(स०अनु०) /आ०प्र० दिनांक 16.05.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101 आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010005 मद में 14,32,000.00 (चौदह लाख बत्तीस हजार) रुपये, उप शीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010006 मद में 1,68,000.00 (एक लाख अरसठ हजार) रुपये एवं उप शीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010007 मद में 15,75,000.00 (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या - 39) (यूनिट कोड-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा)

(राशि-रूपये में)

अंचल		उपावंटित राशि			
		101-0005	101-0006	101-0007	योग
मसौढ़ी	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	42000.00	0.00	41600.00	83600.00
बख्तियारपुर	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	195000.00	168000.00	208000.00	571000.00
मनेर	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	330000	0.00	383500.00	713500.00
धनरूआ	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	40500.00	0.00	41600.00	82100.00
पालीगंज	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	64500.00	0.00	71500.00	136000.00
सम्पतचक	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	30000.00	0.00	27300.00	57300.00
दुल्हन बाजार	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	67500.00	0.00	71500.00	139000.00
पटना सदर	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	330000.00	0.00	383500.00	713500.00
बिहटा	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	45000.00	0.00	46800.00	91800.00
फतुहां	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	52500.00	0.00	58500.00	111000.00
दनियावां	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	45000.00	0.00	46800.00	91800.00

दानापुर	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	190000.00	0.00	194400.00	384400.00
उपावंटित राशि	पूर्व में उपावंटित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में उपावंटित राशि	1432000.00	168000.00	1575000.00	3175000.00
कुल उपावंटित राशि		1432000.00	168000.00	1575000.00	3175000.00
जिला में अवशेष		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल राशि		1432000.00	168000.00	1575000.00	3175000.00

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप-मुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010005, उप शीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010006 एवं उप शीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010007 मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन संबंधित अंचलाधिकारियों की अधियाचना के आलोक में किया जा रहा है जिसे उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा जिस इकाई मद में यह उपावंटन किया जा रहा है। इस उपावंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय वरन विभागीय प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों के सुसंगत कार्रवाई की जाय।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।




6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातों में नहीं रखी जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-04/2013-14 561 /आ०प्र०, दिनांक 01/06/2013

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना / सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
पटना।